

## परामर्श / ADVISORY

File no.: PFRDA/16/05/112/0018/2020-REG-POP

23<sup>rd</sup> March, 2023

प्रति / To,

सभी उपस्थिति अस्तित्व, केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण तथा एनपीएस न्यास /  
All Point of Presence (POPs), Central Record-keeping Agencies (CRAs) and NPS Trust

**विषय : दिनांक 31 मार्च, 2023 तक PAN को आधार से जोड़ने के सन्दर्भ में**  
**Subject: Linking of PAN with Aadhaar to be done by March 31, 2023**

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत निर्धारित प्राधिकरण के पास अपने आधार संख्या की सूचना देना जरूरी है, ताकि आधार और स्थायी खाता संख्या (PAN) को जोड़ा जा सके। यह हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जिसे PAN आवंटित किया गया हो। यह अधिसूचित तिथि को या उसके पहले किया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने पर PAN निष्क्रिय हो जाएगा।

The provisions of Income-tax Act, 1961, make it mandatory for every person who has been allotted a Permanent Account Number (PAN) to intimate his/her Aadhaar Number to the prescribed authority so that the Aadhaar and PAN can be linked. This is required to be done on or before the notified date, failing which the PAN shall become inoperative.

2. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के दिनांक 30 मार्च, 2022 के परिपत्र संख्या 2022 का 7 के अनुसार, किसी व्यक्ति को आवंटित PAN, दिनांक 31 मार्च 2023 तक आधार से लिंक नहीं होने पर निष्क्रिय हो जाएगा और आयकर अधिनियम, 1961 के तहत PAN को प्रस्तुत, सूचित या उद्धृत न करने के परिणामों का वह व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा।

2. As per Central Board of Direct Taxes (CBDT) circular No. 7 of 2022 dated March 30, 2022, the PAN allotted to a person shall become inoperative if it is not linked with Aadhaar by March 31, 2023 and shall be liable to all the consequences under the Income-tax Act, 1961 for not furnishing, intimating or quoting the PAN.

3. चूंकि PAN एक प्रमुख पहचान संख्या है और यह एनपीएस खातों की KYC (ग्राहक को जानें) प्रक्रिया में भी जरूरी है, अतः सभी संबंधित मध्यस्थों द्वारा सभी अभिदाताओं हेतु वैध KYC सुनिश्चित करना आवश्यक है।

4. निरंतर और सुचारु लेनदेन के लिए तथा उक्त CDBT परिपत्र के गैर-अनुपालन के परिणामों से बचने के लिए सभी मौजूदा अभिदाताओं द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2023 से पहले अपने PAN को आधार संख्या से जोड़ना जरूरी है। अन्यथा ऐसे एनपीएस खातों को बिना KYC अनुपालन वाला खाता माना जाएगा तथा PAN और आधार को जोड़े जाने तक उनमें एनपीएस के लेनदेन पर प्रतिबंध लग सकता है।

3. Since PAN is the one of the key identification number and part of Know Your Customer (KYC) requirements for NPS accounts, all concerned intermediaries are required to ensure valid KYC for all the subscribers.

4. All existing subscribers are also required to ensure linking of their PAN with Aadhaar number prior to March 31, 2023, for continual and smooth transactions and to avoid consequences of non-compliance with the said CDBT circular, as such NPS accounts would be considered non-KYC compliant, and there could be restrictions on NPS transactions until the PAN and Aadhaar are linked.

(सुमीत कौर कपूर / Sumeet Kaur Kapoor)

कार्यकारी निदेशक / Executive Director